न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 85/2019 — दायर दिनाँक 26.02.2019

वादी

1. भंवरलाल दत्तक पुत्र गणपत
2. बजरंगलाल पुत्र हणमान जाति अहीर निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. भू—प्रबन्धक अधिकारी, भू प्रबन्धक कार्यालय सीकर, जिला सीकर
2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 05.05.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 645 रकबा 39.05 बीघा वाकै अहीरो का बास, स्थित रही है, जिसका वादीगण ने कानूनी रूप से बंटवारा कर लिया था, जिसके अनुसार वादी भंवरलाल के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी में खसरा सं0 645 रकबा 19.12 बीघा व वादी बजरंगलाल के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी में खसरा सं0 801/645 रकबा 19.13 बीघा आयी।

यह है कि उक्त खेत खसरा सं0 645 के नये खसरा सं0 सेटलमेन्ट विभाग सीकर द्वारा किये गये सेटलमेन्ट के द्वारा वादी भंवरलाल की खातेदारी में खसरा सं0 369 रकबा 3.09 हैक्टे0, खसरा सं0 370 रकबा 0.09 हैक्टे0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हुये तथा वादी बजरंगलाल की खातेंदारी में खसरा सं0 368 रकबा 3.12 हैक्टे0 व खसरा सं0 367 रकबा 0.06 हैक्टे0 दर्ज हो गये। भू प्रबन्धक विभाग सीकर द्वारा जारी जमान्दी की नकल वाद के साथ पेश है।

यह है कि ग्राम अहीरो का बास के खेतो में से होता हुआ कटाणी रास्ता वादी सं0 01 भंवरलाल के खेत खसरा सं0 369 की पश्चिमी सींव—सींव होते हुये, आगे दक्षिणी सींव—सींव नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी, होता हुआ मार्क सी. बिन्दु से फटकर दक्षिण में गणेशपुरा जिला सीकर बहता आया है। यह रास्ता पुरानी कदमी रहा है। तथा हाल ही में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा इस कटाण दर्ज कर दिया गया। लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने इस रास्ते को खेत खसरा सं0 38 तक नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क सी, डी तक खेत मालिक से मिलकर बिना किसी हक अधिकार के व बिना वादीगण को सुनवाई का अवसर दिये, गैर कानूनी रूप से कटाण दर्ज कर दिया, जबकि मार्क सी, डी पर न तो पहले कभी रास्ता रहा और न वर्तमान में है। बल्कि खेत खसरा सं0 378 में आने—जाने के लिए कटाणी रास्ता उसके खेत की उतरी सिंव—सिंव नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच पर वर्षो से बहता आया है। तथा इस रास्ते से खसरा सं0 378 के खातेदार अबाध रूप से आते जाते रहे है, तथा अपनी गाड़ी, ट्रेक्टर लाते ले जाते रहे है। जो कटाणी रास्ता चालू हालत में मौके पर मौजुद है। ऐसी स्थिति में नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क सी, डी गलत अंकन का रास्ता हटाया जाकर दुरूस्ती की जानी आवश्यक है। इसी प्रकार नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ई. एफ पर डोट—डोट पगडण्डी का गलत अंकन भी कर दिया गया है। जो वर्तमान में मौजुद नही है। ऐसी स्थिति में कटाणी रास्ता के होते हुये डोट—डोट पगडण्डी का [illegible] होने से हटाया जाना जरूरी है तथा मार्क जी., एच रास्ते को भी सींव—सींव [illegible] किया जाना न्यायोचित है। वादीगण ने इसे अपने नजरी नक्शा में [illegible] का भाग है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर,
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादीगण इस प्रकार है :–

यह है कि वादीगण के खेत खसरा सं0 369 में से दक्षिणी सिंव–सिंव नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क सी, डी पर गलत अंकन के रास्ते को हटाया जावे। तथा इस खेत की उत्तरी सिंव के पास नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ई, एफ पर गलत अंकन डोट–डोट को हटाया जावे तथा इस खेत में नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच रास्ता वादीगण की खातेदारी के खेत खसरा सं0 369 व खसरा सं0 179 व 177 के बिच सींव–सींव कटाण दर्ज करने की कृपा करावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने की कृपा करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम अहीरो का बास के खसरा सं0 369 में से दक्षिण सिंव–सिंव नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क सी, डी पर अंकित रास्ते व इसी खेत की उत्तरी सिंव के पास नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ई, एफ अंकित डोटेड रास्ते को हटाया जाकर नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच रास्ता खसरा सं0 369 व खसरा स0 179, 177 के बिच सींव–सींव कटाणी रास्ता दर्ज किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.05.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **85/2019** दायर दिनाँक **26.02.2019**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. भंवरलाल दत्तक पुत्र गणपत 1. बजरंगलाल पुत्र हणमान जाति अहीर निवासीयान अहीरो का बास, सुद्रासन, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. भू–प्रबन्धक अधिकारी, भू प्रबन्धक कार्यालय सीकर, जिला सीकर 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **05.05.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके ग्राम अहीरो का बास के खसरा सं0 369 में से दक्षिण सिंव–सिंव नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क सी, डी पर अंकित रास्ते व इसी खेत की उत्तरी सिंव के पास नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ई, एफ अंकित डोटेड रास्ते को हटाया जाकर नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क जी, एच रास्ता खसरा सं0 369 व खसरां स0 179, 177 के बिच सींव–सींव कटाणी रास्ता दर्ज किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.05.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner